समाहरणालय मुंगेर
मुंगेर–811201
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संभावित बाढ़ 2020 की पूर्व तैयारी एवं अग्निकांड आदि से निपटने एवं बचाव कार्य के सम्यकरूपेण संचालन हेतु पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता को देखते हुये पॉलीथीन शीट्स क्रय हेतु कार्यालय पत्रांक 307/आ0प्र0, दिनांक 04.07.2019 द्वारा पुनर्निविदा संख्या– 03/2019–20 प्रकाशित किया गया। निविदा शर्तों के अनुरूप L1, Shivalik Agro Poly Products Ltd., Plot No- 01, Sector-3, Parwanoo, H.P- 173220 का न्यूनतम दर 120/-- (एक सौ बीस) रूपये प्रति किलो न्यूनतम पाया गया, जिसे क्रय समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1155/आ0प्र0, दिनांक 20.04.2018 में स्पष्ट निदेश है कि "नोडल जिला द्वारा पॉलीथीन शीट्स के क्रय हेतु निर्धारित दर आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगा"। वित्तीय वर्ष 2019–20 में आपुरित पॉलीथीन शीट्स संतोषजनक पाया गया। विभागीय निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में भी Shivalik Agro Poly Products Ltd., Plot No- 01, Sector-3, Parwanoo, H.P- 173220 को निम्नांकित विशिष्टियों एवं निविदा की शर्तों के अधीन उनके द्वारा दिये गये नमूना के अनुरूप निम्नलिखित जिला में पॉलीथीन शीट्स आपूर्त्ति हेतु आदेश दिया जाता है :–

क्र0	आपूर्त्ति किये जाने वाले जिला का नाम	आपूर्त्ति की जाने वाली सामग्री का- नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	निर्धारित दर प्रति किलो
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	काला पॉलीथीन शीट्स	Low Density Polyethene Black Sheets 250 Micron (DGS&D एवं Gem दर के अनुसार)	4 मीटर X 5 मीटर	10000 पीस	120.00 (एक सौ बीस) रू0 प्रति किलो ग्राम सभी कर अधिभार एवं संबंधित जिला के समाहरणालय पहुँचा कर परिवहन व्यय सहित।
2	जिला पदाधिकारी, खगड़िया				10000 पीस	
3	जिला पदाधिकारी, बेगुसराय				10000 पीस	
4	जिला पदाधिकारी, लखीसराय				5000 पीस	
5	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा				5000 पीस	

1. आपूर्त्तिकर्त्ता को पॉलीथीन शीट्स की आपूर्त्ति ऊपर दिये गये विवरण एकरारनामा एवं प्रकाशित निविदा शर्तों के अनुरूप करनी होगी।
2. आपूर्त्ति आदेश निर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता को एकरारनामा के अनुसार आपूर्त्ति आदेश निर्गत के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप संबंधित जिला पदाधिकारी, मुंगेर/खगड़िया/बेगुसराय/लखीसराय एवं शेखपुरा के नाम के सामने अंकित गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देगें, अन्यथा प्रतिभूति राशि जप्त कर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
3. पॉलीथीन शीट्स Low Density Polyethene Film Grade- 030 मोटाई 250 Micron (ISI) Black Sheets 4m X 5m का 120.00(एक सौ बीस) रूपये प्रति किलोग्राम (सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित) आपूर्त्ति करनी होगी।

4. सभी पॉलीथीन शीट्स की आपूर्त्ति C.I.P.E.T (Central Institute of Plastic Engineering & Technology, Hajipur) द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित (Quality Test/Inspection) कराकर की जानी है।
5. आपूर्त्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. आपूरित पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने एवं C.I.P.E.T Hajipur से सत्यापनोपरान्त GST के निर्धारित नियमों तथा आयकर की कटौती कर लेखा प्रदायी चेक (Account Payee) के माध्यम से आपूर्त्तिकर्त्ता फॉर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान की जायेगी।
7. पॉलीथीन शीट्स की आपूर्त्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर संबंधित जिला को करनी होगी।
8. ससमय पॉलीथीन शीट्स आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर जमा की गई जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
9. Government e- Market (GeM) के निर्धारित दर से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं होगा।
10. निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं होने की स्थिति में अन्य आपूर्त्तिकर्त्ताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायलय, मुंगेर के अधीन होगा।

–ह०–

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 648 /आ0प्र0, दिनांक 17/06/2020

प्रतिलिपि :– Shivalik Agro Poly Products Ltd., Plot No- 01, Sector-3, Parwanoo, H.P- 173220 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, खगड़िया/बेगुसराय एवं लखीसराय को क्रमशः उनके पत्रांक 476/आ0प्र0, दिनांक 02.05.2020, पत्रांक 449/आ0प्र0, दिनांक 12.06.2020 एवं पत्रांक 830/आ0प्र0, दिनांक 11.06.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये पॉलीथीन शीट्स को Randamaize तरीके से टुकड़ा काट कर अपने स्तर से पॉलीथीन शीट्स की कटिंग को Central Institute Of Plastic Engineering & Technology, Hajipur को शीलकर भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे। साथ ही आपूर्त्ति किये गये पॉलीथीन शीट्स का वजन सत्यापन भी करवाना सुनिश्चित करेंगे (ट्रक में लोड पॉलीथीन शीट्स ट्रक सहित वजन एवं खली होने के उपरान्त ट्रक का वजन घटाने के पश्चात् वास्तविक पॉलीथीन शीट्स का वजन ज्ञात किया जाय)। विपत्र भेजते समय आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा समर्पित विपत्र एवं C.I.P.E.T Hajipur का जाँच प्रतिवेदन, वजन सत्यापन प्रतिवेदन के साथ विपत्र अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/06/20
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।